



Har Ghar Jal  
Jal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन हर घर जल  
ग्राम कार्ययोजना (वी०ए०पी०)  
आर्यावर्त सेवा एवं विकास संस्थान, लखनऊ



जल संवर्धी रहनी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। ग्राम पंचायत और /या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०उ०ब्ल्य००८०सी०/ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जाती है और डी०डब्ल्य००८०८०म०को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदितका जाती है।  
आई०ए०स०८० द्वारा मार्गदर्शन/सहायता प्रदान किया जाना है।

1. तैयारी की तारीख 10-6-2023 उपरिख्यत ग्राम वालियों की संख्या = 42  
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख 12-6-2023  
डी०डब्ल्य००८०८०८०म०को प्रस्तुत किये जाने की तारीख
2. ग्राम का नाम वडहरा देवीनगर  
ग्राम पंचायत का नाम वडहरा देवीनगर  
विकास खण्ड का नाम फरेटा  
जनपद का नाम महाराष्ट्र  
राज्य का नाम उत्तर प्रदेश  
ग्राम जनगणना कोड  
यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम

- I. ग्राम पंचायत सकल्प  
3- ग्राम समुदाय की आकांक्षा 26 संख्या, मधेशी कुड़ों को और 65 संख्या, कपड़ा घोने/ स्नान करने के स्थनों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् 10 घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले एल०पी०सी०डी० जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिये एफ०ए०च०टी०सी० प्रदान करना।

हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अतग्राम जल आपूर्ति अवसरयचना के अपनत्व, प्रबन्धन, प्रवालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे उनकी रक्षा करेंगे और उन्हे सदृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गदे जल की व्यवस्था करेंगे और भीठे/साफ जल को बचायेंगे।

यह सकल्प लिया जाता है कि पूजी/लागत का 10% प्रतिशत और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबन्धन में योगदान किया जाएगा।

पानी की गुणवत्ताका प्रमाण पत्र पी०ए०इ०डी०/आर०डब्ल्य००८०८० विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

- II- ग्राम पंचायत और /या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०उ०ब्ल्य००८०८०सी०/पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

- 4- कौन सी समिति ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रवालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

ग्राम पंचायत और/ या उप-समिति वडहरा देवीनगर समिति को क्या कहा जाता है ग्राम पेंचल एवं प्रवाल समिति  
समिति के अध्यक्ष का नाम श्री सर्वेश्वरनन्द मिश्र

लिंग M  
आयु 42

| क०स० | सदस्य का नाम        | लिंग | आयु | जाति | अन्य विवरण |
|------|---------------------|------|-----|------|------------|
| 1    | सर्वेश्वरनन्द मिश्र | M    | 42  | GEN  | अध्यक्ष    |
| 2    | अमृता प्रताप मिश्र  | M    | 38  | GEN  | सामिल      |
| 3    | समाज पारितोष        | M    | 20  | OBC  | काषाध्यक्ष |
| 4    | कमलेश               | M    | 26  | SC   | सदस्य      |
| 5    | सरोज                | F    | 37  | OBC  | सदस्य      |

|    |                  |   |    |     |      |
|----|------------------|---|----|-----|------|
| 6  | राजनीति          | M | 35 | OBC | संसद |
| 7  | म-ज-डीवी         | F | 32 | OBC | संसद |
| 8  | द्वितीय मानवी    | M | 34 | SC  | संसद |
| 9  | राजनीति कला/दिवा | M | 35 | OBC | संसद |
| 10 | इनम पांचवं       | F | 26 | OBC | संसद |
| 11 | पृष्ठा           | F | 27 | OBC | संसद |
| 12 | मभता             | F | 38 | OBC | संसद |
| 13 | उग्गविती         | F | 38 | SC  | संसद |
| 14 | मरिमा            | F | 30 | SC  | संसद |
| 15 | वृद्धा 7-4       | M | 36 | GEN | संसद |

III- सामान्य विवरण

6-

|  |   |
|--|---|
| 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि = 1440 | वर्तमान प्रचायत/आगनवाडी रिकार्ड के अनुसार |
| जनसंख्या ५८३० में २१००                 | जनसंख्या ३२००                             |
| परिवारों की संख्या ४८०                 | परिवारों की संख्या ५५०                    |
| महिलाओं की संख्या ७०८                  | महिलाओं की संख्या ११५०                    |
| पुरुषों की संख्या १०३०                 | पुरुषों की संख्या १४५६                    |
| बच्चों की संख्या २६४                   | बच्चों की संख्या ३८४                      |
| एफ०एच०टी०सी० की संख्या                 | एफ०एच०टी०सी० की संख्या                    |

7- जनसंख्या अनुमान

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष वर्तमान जनसंख्या से 18 प्रतिशत वृद्धि

किलोमीटर/दिन के ०एल०डी० अंतिम चरण वर्तमान से 30 वर्ष वर्तमान जनसंख्या में 32 प्रतिशत वृद्धि

किलोमीटर/दिन के ०एल०डी०

8- वर्तमान मध्यस्थी संख्या पशुपालन रिकार्ड 360

9- कृषि फसल पैटर्न

| प्रमुख फसले | खरीफ | रबी |
|-------------|------|-----|
| गन्ना       |      |     |
| घान         | ✓    |     |
| मक्का       |      |     |
| कपास        |      |     |
| गेहू        |      | ✓   |
| अन्य        |      |     |

10- औसत जल वर्षा मि०मी० में 12.5 MM

11- रथलाकृति समतल, ढलान, आदि समतल

IV- स्थिति विश्लेषण

12- क्या सासाबन मानचित्रण किया गया है? हाँ / नहीं ✓

13- ग्राम कार्यगायोजना के साथ मानचित्र सलग्न करें

क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? हाँ / नहीं ✓

ग्राम कार्यगायोजना के साथ मानचित्र सलग्न करें

14-

|          |                          |  |   |   |
|----------|--------------------------|--|---|---|
| ब०<br>स० | सार्वजनिक संरक्षा का नाम | क्या<br>एफ०एच०टी०सी०<br>उपलब्ध है?<br>हाँ / नहीं | क्या वर्षा जल<br>संचयन सरचना<br>उपलब्ध है? हाँ/<br>नहीं | सेखा गङ्गा की<br>उपलब्धता? हाँ/<br>नहीं |
|----------|--------------------------|--|---|---|

|   |                   |      |      |      |
|---|-------------------|------|------|------|
| 1 | स्कूल             | नहीं | नहीं | नहीं |
| 2 | आगनवाढ़ी          | है   | है   | है   |
| 3 | स्वास्थ्य केन्द्र | है   | है   | है   |
| 4 | ग्राम पचायत भवन   | है   | है   | है   |
| 5 | अन्य              |      |      |      |

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता:

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता 310,650 जनसंख्या दर 67 के 0एल0डी० प्रतिवार्षि

न्येशियो के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता के 0एल0डी०

न्येरी कुड़ो की आवश्यक संख्या

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर के 0 एल0 डी०

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर 67 के 0एल0डी० प्रतिवार्षि

पानी आपूर्ति का इतिवृत्त

16- गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चकवात/दाढ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियो, रेल गाड़ियो आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नहीं

18- पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, खोत को मजबूत करनेका इतिवृत्त दृढ़

19- जल जनित रोगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता दृढ़

20- फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीख

21- सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख

22- जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले नौजूदा/प्रस्तावित पेयजल खोतों के पानी की गुणवत्ता खोत का नाम अवस्थिति

| खोत                    | मापदण्ड        | तरीका | परिणाम |
|------------------------|----------------|-------|--------|
| गंदगी                  | दृश्य          | तुलना |        |
| पीएच                   | पटटी रंग       | तुलना |        |
| पूर्ण लवणता            | टिटीमेटिक विधि |       |        |
| पूर्ण क्षारीयता        | टिटीमेटिक विधि |       |        |
| क्लोराइड               | टिटीमेटिक विधि |       |        |
| अमोनिया                | दृश्य रंग      | तुलना |        |
| फास्फेट                | दृश्य रंग      | तुलना |        |
| अवशिष्ट क्लोरीन        | दृश्य रंग      | तुलना |        |
| आयरन                   | दृश्य रंग      | तुलना |        |
| नाइट्रोट               | दृश्य रंग      | तुलना |        |
| फलोराइड                | दृश्य रंग      | तुलना |        |
| आर्सेनिक हाट स्पाट में | दृश्य रंग      | तुलना |        |

कपड़े धोने/ स्नान करने का स्थान

- 23- यह समाचार है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने/स्नान करने के लिए या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं

| अनस्थिति का नाम | घरों की संख्या | आवादी |
|-----------------|----------------|-------|
|                 | 15             | 45    |
|                 |                |       |
|                 |                |       |
|                 |                |       |

### जोत स्थायित्व

- 24- भू-जल जोत के मामले में, क्या बोर्डेल स्थिर्ज संरचना है? हाँ/नहीं हैं

- 25- गंव में उन मौजूदा जल भड़ारों की सूची जिनका काया कल्प/मरम्त कार्य किया जाना आवश्यक है।

गंदे जल का प्रबन्धन

- 26- उत्पन्न गंदा जल जल आपूर्ति का 65 प्रतिशत, के ०एल०डी० अलग-अलग सोखता गड़डों वाले परिवारों की संख्या

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड़डों की आवश्यकता है 85

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड़डों की संख्या १०

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? हाँ/ नहीं

यदि हाँ तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है

यदि नहीं तो गंदे जल के प्रबन्धन के लिए कौन से अन्य उपाय अपनाये जाने चाहिए

### III- जल आपूर्ति योजना

- 27- निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ०एच०टी०सी० प्रदान केए जाएगे:

- \* अतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन०आर०डी०डब्ल्यू०पी० के तहत शुरू की गयी योजनाओं की रेटोफिटिंग
- \* पूर्ण हो चुके आर० डब्ल्यू०एस० की रेटोफिटिंग ताकि इसे जे०जे०एम० के अनुकूल बनाया जा सके
- \* निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल /सिंग वाटर/ स्थानीय या धरातलीय जल वाले गावों में एस०वी०एस०
- \* शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गावों में एस०वी०एस०
- \* वाटर ग्रिड/ क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एस०वी०एस०
- \* मिनी सौर उर्जा आधारित पी०डब्ल्यू०एस० जो एकान्त/ आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं।

- 28- अभिनिर्धारित जल जोत स्थानिक-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना निम्नलिखित इवं प्राप्ति आवंटित इस योजना के लिए

अभिनिर्धारित भूमि  
को सौंप दी जाएगी

यह टारीख, जिस पर यह भूमि पी०प०इ०डी० / आर०डब्ल्य००८०  
योजना की लागत **DPR के अनुसार** भारत सरकार का हिस्सा  
राज्य सरकार का हिस्सा

**अभिकृतम् ११०५%**

व्यक्तिगत / घरेलू अशावान  
मासिक जल आपूर्ति शुल्क / प्रयोक्ता शुल्क  
पी०डब्ल्य००८०

व्यार्थिक प्रचालन व रख—रखाव शुल्क

व्यक्तिगत / घरेलू

कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

### III- मेल—जोल

निम्नलिखित तालिका में उन समावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल—जोल समय है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29-

| योजना का नाम  | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग              | समावित गतिविधिया जो शुरू की जा सकती हैं  | प्रस्तावित निधि                |
|---|---|--|--------------------------------|
| चौदहवा वित्त आयोग ✓                                 | ग्राम पंचायत ✓                            | ग्रे-वाटर मैनेजमेंट, डेरेनेज सिस्टम आदि।   | <b>राज्य किंवा</b>             |
| स्वच्छ भारत भिशन एस०बी०८०—जी० ✓                     | घजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय | ग्रे-वाटर मैनेजमेंट, सोख्ता गढ़े व्यक्तिगत / सामुदायिक अपशिष्ट, तलछट तालाब आदि।                            | <b>ग्रामीण निधि</b>            |
| एम०जी०१०न०आर०इ०जी०१०एस०                             | ग्रामीण विकास मंत्रालय ✓                  | प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन एन०आर०८० घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधिया                                       | <b>अनुक्रमणिका आते से VWSC</b> |
| एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आइग०डब्ल्य००८०पी०  | भूमि संसाधन विभाग                         | वाटरशेड प्रबंधन / आर०डब्ल्य००८० / कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का निर्माण / वृद्धि आदि                     |                                |
| जल भंडारो की सरमत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार          | जल संसाधन, नदी विभाग और गगा संरक्षण विभाग | बड़े जल भंडारो का जीर्णोद्धार  |                                |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर०के०पी०वाई०            | कृषि सहकारिता और किसान कल्याण             | वाटरशेड से सम्बन्धित कार्य   |                                |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पी०ए८०के०८०वाई०      | कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय    | जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूख—सिंचाई का प्रावधान, एकीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए |                                |
| क्षात्रिपूरक बनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण | पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  | बनीकरण, बन पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्जनन, वाटरशेड विकास आदि।   |                                |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पी०ए८०के०८०वाई०       | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय           | आर०डब्ल्य००८० योजनाओं के लिए   | ✓                              |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि                     | ✓ |
| सम्प्रशिक्षा  | मनव संसाधन विकास मंत्रालय                              | स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान                                    | ✓ |
| आकाशी जिला कार्यक्रम  | नीति आयोग  | थला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ | ✓ |
| जिला खानेज विकास निधि डी०एम०ए०एफ०                                 | राज्य  | बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ                                     | ✓ |
| एम०पी०एल०ए०डी०  | सांखियकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय एम०ओ०एस०पी०आई० | अंत ग्राम अवसरचना  | ✓ |
| एम०एल०ए०एल०ए०डी०  | राज्य  | अंत ग्राम अवसरचना  | ✓ |
| संविधान के अनुच्छेद 275 1 के तहत अनुदान/जनजातीय उपयोजना ठी०एस०एस० | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य                    | अंत ग्राम अवसरचना  | ✓ |
| दानदाता/प्रायोजक  |  |  | ✓ |

## सर्वदा भारतीय

अध्यक्ष के हस्ताक्षर



पी०एच०इ०डी० / आर०डब्ल्य०एस० (सर्वदा भारतीय) का नाम और हस्ताक्षर

आई०एस०ए० प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर यदि लागू हो

### संपर्क विवरण

ग्राम पचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात वी०डब्ल्य०एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का अध्यक्ष

ग्राम पचायत सचिव का नाम और फोन नम्बर

जमीनी लकनीशियन का नाम और फोन नम्बर  
पानी की गणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए 5 महिलाओं के नाम और फोन नम्बर

87076 22701

1 सरोज

2 नीरा चौरसिया

3 मेनावती

4 सोनी

5 दुर्गावती

प्य आपरेटर का नाम और फोन नम्बर

9628118537

7317652349

9519686721